# झारखण्ड सरकार
# निबंधन विभाग
## !! कार्यालय आदेश !!

का०आ०सं०-1/ नि०वि०10171 /09......1319...... रांची, दिनांक:-.....10-10-14

निबंधन विभाग द्वारा दिनांक 21.12.2013 से प्री-रजिस्ट्रेशन/सर्च मॉड्यूल/पेमेन्ट गेटवे की प्रणाली शुरू की गयी है । पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से निबंधन शुल्क जमा करने के उपरांत यदि पक्षकार के दस्तावेज का निबंधन अस्वीकृत कर दिया जाता है या पक्षकार द्वारा दस्तावेज का निबंधन नहीं कराया जाता है या कतिपय तकनीकी कारणों से चुकाया गया शुल्क प्रदर्शित नहीं होने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से दस्तावेज का निबंधन संभव नहीं हो पाता है तो चुकाए गए शुल्क की वापसी हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी:-

(i) शुल्क वापसी हेतु आवेदन पक्षकार द्वारा संबंधित अवर निबंधक/जिला अवर निबंधक के कार्यालय में समर्पित किये जायेंगे ।

(ii) इन आवेदनों की समय-सीमा शुल्क जमा करने की तिथि से चार माह तक होगी तथा इस अवधि के बाद प्राप्त आवेदनो पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

(iii) आवेदन के साथ पक्षकार द्वारा चुकाए गये शुल्क का पूर्ण विवरण एवं बैंक खाता का विवरण संलग्न किया जाएगा ।

(iv) संबंधित निबंधन पदाधिकारी इन आवेदनों की सत्यता की जांच हेतु निबंधन महानिरीक्षक को प्रेषित करेंगे ।

(v) निबंधन महानिरीक्षक AMC Team से चुकाये गये शुल्क की सत्यता की जांच करायेंगे ।

(vi) AMC Team Transaction ID के आधार पर डाटा बेस एवं Bildesk द्वारा आपूर्ति किए गए A.P.I. (Application programme interface) से चुकाए गए शुल्क की सत्यता की जांच करेगी तथा इस संबंध में एक प्रतिवेदन निबंधन महानिरीक्षक को देगी ।

(vii) पक्षकार द्वारा शुल्क वापसी हेतु आवेदन वैध पाए जाने की स्थिति में निबंधन महानिरीक्षक द्वारा शुल्क वापसी हेतु आदेश पारित किया जाएगा ।

(viii) वर्ष के प्रत्येक चतुर्मास में विभागीय स्तर से निबंधन पदाधिकारियों को अधियाचना के आधार पर आवंटन आदेश निर्गत किया जाएगा ।

(ix) आवंटन प्राप्त होने के उपरांत उक्त आवंटन से निबंधन पदाधिकारी संबंधित पक्षकार को चुकाया गया शुल्क वापस करेंगे ।

(x) संबंधित निबंधन पदाधिकारी निम्नांकित प्रपत्र में शुल्क वापसी संबंधित पंजी संधारित करेंगे:–

प्रपत्र 'क'

| क्र० सं० | आवेदन की तिथि | आवेदक का नाम | चुकाया गया शुल्क व ID संख्या | निबंधन महानिरीक्षक को जांच हेतु पत्र भेजने की तिथी व पत्रांक | निबंधन महानिरीक्षक द्वारा शुल्क वापसी आदेश प्राप्त होने की तिथि व पत्रांक | शुल्क वापस करने की तिथि तथा वापस की गयी कुल राशि | निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

**. सर्च मॉड्यूल के माध्यम से खोज, ऋणअवमार प्रगाण पत्र, सच्ची प्रतिलिपि हेतु पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से शुल्क चुकाने के उपरांत तकनीकी कारणों से सेवा प्राप्त नहीं होने पर भी चुकाए गए शुल्क की वापसी हेतु उपरोक्त प्रक्रिया अपनायी जाएगी ।**

इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय आदेश संख्या 134 दिनांक 28.01.2014 तथा विभागीय आदेश संख्या 671 दिनांक 04.04.2014 को विलोपित किया जाता है ।

इसपर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

ह0/–
सचिव
निबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक :– 1319
रांची, दिनांक 10-10-15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची/प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैप० आई०टी०झारखण्ड, रांची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त–सह–जिला निबंधक, झारखण्ड/सभी निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, झारखण्ड/सभी जिला अवर निबंधक/सभी अवर निबंधक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव,